रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2620] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 23, 2014/पौष 2, 1936
No. 2620] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23, 2014/PAUSHA 2, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3257(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, वेस्ट बंगाल बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्सन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड; पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एक निकाय, को, उक्त निकाय को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) भवन तथा अन्य निर्माण कामगार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अंतर्गत संग्रहीत उपकर;

(ख) लाभार्थियों के रूप में बोर्ड के पास पंजीकृत निर्माण कामगारों से वसूल किए गए पंजीकरण शुल्क और वार्षिक अभिदान;

(ग) सरकार से सहायता अनुदान और ऋण के रूप में प्राप्त राशि;

(घ) निवेश से प्राप्त ब्याज आय।

2. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक के लिए लागू होगी।

3. यह अधिसूचना इन शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी कि पश्चिम बंगाल भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (वेस्ट बंगाल बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्सन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड)

(क) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;

(ख) इसके कार्यकलाप और विनिर्दिष्ट आय का स्वरूप संपूर्ण वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तनीय रहते हैं; और

(ग) अपनी आय की विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के उपबंध के अनुसार दायर करता है।

[अधिसूचना संख्या 89/2014/फा. सं. 196/17/2012-आयकर नि-I]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2014

S.O. 3257(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'West Bengal Building and Other Construction Workers Welfare Board', a body Constituted by the Government of West Bengal in respect of the following specified income arising to that body, namely:—

(a) cess collected under the Building and Other construction Workers Welfare Cess Act, 1996 (28 of 1996) and the rules thereunder;
(b) registration fees and yearly subscription collected from construction workers registered with the Board as beneficiaries;
(c) amount received in the form of grants-in-aid and loan from Government;
(d) interest income received from investment.

2. This notification shall be applicable for the financial years 2011-2012 to 2015-2016.

3. The notification shall be subject to the conditions that the West Bengal Building and Other Construction Workers Welfare Board:-

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) its activities and the nature of the specified income remain unchanged throughout the financial year; and

(c) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) section 139 of the said Act.

[Notification No. 89/2014/F. No. 196/17/2012-ITA. I]

DEEPSHIKHA SHARMA, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.